हरियाणा सरकार

अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा

सभी शैक्षणिक संस्थाओं तथा छात्र जिन्होंने वित्त वर्ष 2015-16 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्कीम के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन किया है के ध्यानार्थ ।

केन्द्रीय प्रायोजित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों जिनके माता/पिता या अभिभावकों की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु 2.50 लाख रुपये तथा अन्य पिछड़े वर्ग की विद्यार्थियों हेतु 1.00 लाख रुपये से अधिक न हो को छात्रवृति प्रदान की जाती है । वित्त वर्ष 2015-16 से यह स्कीम ऑनलाईन परिपालित की जा रही है । जिन छात्रों द्वारा इस स्कीम के पोर्टल haryanawelfareschemes.org पर On-line पर रजिस्ट्रेशन की गई थी उनमें से बहुत से छात्र ऐसे है जिनके आवेदन पत्र में त्रुटियां है जो छात्रों द्वारा ठीक की जानी है या छात्रों द्वारा अधूरे भरे गये हैं । अतः सभी छात्र जिन्होंने इस स्कीम के तहत छात्रवृति के लिए On-line पर आवेदन किया है, अपने आवेदन पत्रों का स्टेटस चेक करें और यदि उनमे कोई त्रुटि है या एजराज लगाया गया है या आवेदन पत्र अधूरा है तो उसे पूर्ण करके दिनांक 30.11.2016 से पूर्व अपने संस्थान को फारवर्ड करे तथा सम्बन्धित संस्थान इन आवेदन पत्रोंको दिनांक 30.11.2016 तक सम्बन्धित कलस्टर का फारवर्ड करना सुनिश्चित करें । दिनांक 01.12.2016 को सभी अधूरे आवेदन पत्रों को बिना किसी नोटिस के रद्द कर दिया जाएगा ।

(वजीर सिंह गोयत, आई.ए.एस)
निदेशक,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग
कल्याण विभाग, हरियाणा चंडीगढ़
दूरभाष नं. 0172-2707009, 2704282
ई मेल scbcharyana@gmail.com

43156